

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

रिपोर्ट पटवारी ..... थला ..... भू.अ. निरीक्षक रायपुर ..... तहसील रायपुर

महोदयजी, निवेदन है कि ग्राम बगोलिया जमा, थला की जमाबंदी संवत् 2076 + 2079 में खाता सं. 92 के जमा खातेदार जगदीश रामरतन पुत्र अम्बाला (जाति शाक) के स्टेट बैंक ऑफ बिहार एंड जयपुर शाखा रायपुर का रहन दर्ज है। वर्तमान में उक्त के शाखा S.B.J. का नवीन नामकरण होकर S.B.I. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। अतः ग्राम बगोलिया जमा, थला की जमाबंदी संवत् 2076 + 2079 में खाता सं. 92 में दर्ज के रहन S.B.J. स्टेट बैंक ऑफ बिहार एंड जयपुर शाखा रायपुर के स्थान पर S.B.I. (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रायपुर) दर्ज किया जाना उचित है।

*(Handwritten signature)*  
10/11/2021

रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ..... व. जॉच भू.अ.नि: वृत ..... के आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

10.11.21  
तहसीलदार रायपुर  
रायपुर जिला-भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)  
क्रमांक:-प्र.गां.के सं./केम्प/2021/11512 (2021/365) दिनांक:- 90-99-2029

--:आदेश :-

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जॉच रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम बगोलिया जमाबंदी संवत् 2076-79 में खाता संख्या 92 स्वयं/शामलाती खाते में खातेदार/सहखातेदार जगदीश रामरतन पुत्र अम्बाला (जाति शाक) का-के.व.रामिन स्टेट बैंक ऑफ बिहार & जयपुर शाखा रायपुर के नाम अंकित है जिसके बजाय सह (जातेदार) के साथ रामिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रायपुर शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे वास्ते तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

*(Handwritten signature)*  
10.11.2021  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर भीलवाडा

